

आदेश

श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री धर्मपाल, पंच, वार्ड नं० 04, ग्राम पंचायत ललित खेडा, खण्ड व जिला जीन्द द्वारा पंच के पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 07.07.2025 जो उपायुक्त, जीन्द के सिफारिश पत्र क्रमांक 11572/पंचायत-चुनाव दिनांक 25.09.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
09.10.2025

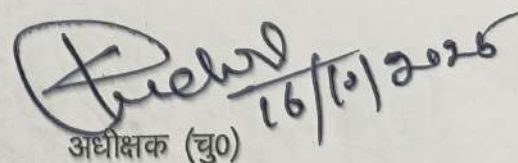
दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025 / 53678-84 दिनांक : 21-10-25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, जीन्द के सिफारिश पत्र क्रमांक 11572/पंचायत-चुनाव दिनांक 25.09.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत ललित खेडा, खण्ड व जिला जीन्द।
6. श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी गांव ललित खेडा, तहसील जुलाना, जिला जीन्द।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

G. Jind / Mohit


16/10/2025

अधीक्षक (चु०)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़